न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 13/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/23
निर्णय दिनांकः 20.6.2025

संतलाल पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. मदनलाल पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शीशपाल पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सुरजा पत्नी स्व. भैराराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

1. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमनाथ सिद्ध अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना हैं। यह है कि प्रार्थी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का निवासी हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 भी श्रीडूंगरगढ़ हाल जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के निवासीगण हैं व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 774 तादादी 7.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं । जिसमें प्रार्थी का 5/18 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 5/18— 5/18 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मध्य वादगत खेत का आपस में मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है तथा मौखिक बंटवारा के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने—अपने हिस्सा भूमि को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा मौका पर बड़ी—बड़ी सीवें मौजूद है तथा तारबंदी कर रखी हैं। वादगत खेत का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ हैं तथा राजस्व रिकार्ड में वादगत खेत की भूमि संयुक्त चली आ रही हैं । वादगत खसरा की भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त होने से प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि पर के.सी.सी. बनवाने तथा भूमि का समतलीकरण करवाने, उपजाऊ बनाने आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 774 तादादी 7.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का 5/18 हिस्सा भूमि हैं। पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:25 IST
Reason: SelfAttested

(बीकानेर)

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने संयुक्त रूप से बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ से ऋण लिया था, परन्तु उक्त ऋण राशि का उपयोग केवल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा ही किया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा समय पर ऋण राशि का भुगतान नही होने पर प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण ऋण का भुगतान बैंक शाखा में किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थी से कहा कि हम उक्त ऋण राशि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 (सुरजा) का 1/6 हिस्सा आपके नाम करवा देगें । परन्तु जब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को ऋण चुकता करने के बाद अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा उसके नाम करवाने व वादगत खेत का विधित रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 इन्कार हो गये तथा ऐलानियां धमकियां दी कि हम वादगत खेत में स्थित तुम्हारे हिस्सा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल कर देगें । इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से दिनांक 05.01.2025 को निवेदन किया कि वादगत खेत में अपने मौका पर कब्जा, काश्त के अनुसार विभाजन आपसी सहमति से करवा लेवें तथा मैनें बैंक का ऋण भी चुकता किया था, इसलिए अपनी माता सुरजा (अप्रार्थी संख्या 3) का हिस्सा मेरे नाम से करवा दो तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 नही माने और प्रार्थी को धमकी देने लगे कि हम ना तो तुम्हे अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा देगें और ना ही तुम्हे तुम्हारे हिस्सा में प्रवेश करने देगें ना ही काश्त करने देगें, हमें अच्छी किमत मिल रही है, इसलिए हम उक्त खेत में स्थित तुम्हारे हिस्सा भूमि को शामिल करते हुये वादगत खेत की सम्पूर्ण भूमि को अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके ही रहेगें। तब प्रार्थी ने फिर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से निवेदन किया आप आपसी सहमति से वादगत खेत का विभाजन करवा लेवें तथा अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा मेरे नाम से करवा देवें, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से विभाजन करवाने व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा नाम करवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थी के पास अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का वादगत खेत को संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नही रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की नियत खराब हो गई है, वह प्रार्थी को उसके हिस्सा से बेदखल कर जबरदस्ती किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने पर तुले हुये हैं । इस कारण प्रार्थी के लिए वादगत खेत का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर खाता विभाजन करवाना आवश्यक हो गया हैं । प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा उसकी खातेदारी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाने से दिनांक 05.01.2025 को इन्कार करने तथा प्रार्थी को उसके हिस्सा से बेदखल कर व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा नाम नही करवाने व सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी गई हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जा रहा हैं । प्रार्थी अपने वादगत खसरा की हिस्सा भूमि को मौका पर कब्जा, [illegible] करवाकर अलग से लगान कायम करवाने व उसी अनुसार अपना नक्शा [illegible] म करवाने की अधिकारी हैं। वादगत खेत का प्रार्थी रिकोर्डेड खा[illegible] तथा वादगत खेत पर कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग प्रार्थी का चला आ रहा है [illegible] अप्रार्थीगण ने वादगत खेत को बिना खाता विभाजन किये ही प्रार्थी को बेदखल कर विक्रय, [illegible]य, हस्तान्तरण करने की धमकी दी है, यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मंशुबो में सफल हो गये तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 774 तादादी 7.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना किसी भी प्रकार से विक्रय, रहन, बैय, दीगर प्रकार से मुन्तिकल नही करें ना ही वादी के कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्राकर से बाधा विघ्न डाले ना ही अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादगत खसरान भूमि की तादाद फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि मौके पर वादगत खेत अब संयुक्त रूप से कब्जा काश्त का नहीं रहा है। वादगत खेत को वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक एवं पारिवारिक बंटवारे के अनुसार मौके पर काश्त करते है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मौखिक रूप से विभाजन एवं कब्जा काश्त बताया है तथा मौके पर सींव एवं तारबंदी का होना बताया है लेकिन प्रार्थी ने यह नहीं बताया है कि उसका वादगत खेत में कौनसी दिशा के हिस्से में कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादीगण का कौनी दिशा में कब्जा काश्त है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वादगत खसरा की भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त होने से प्रार्थी को के.सी.सी. बनवाने तथा भूमि का समतलीकरण करवाने, उपजाऊ बनाने आदि के तथ्य मिथ्या, मनघ्ड़त एवं कपोल कल्पित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने एक तरफ वादगत खसरे का विभाजन का दावा पेश कर विभाजन का निवेदन किया है, दूसरी तरफ वादगत खसरे पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बाद वादगत खसरे का विभाजन संभव ही नहीं है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जानबूझकर गलत तथ्य बयान करवाये है। अप्रार्थीगण ने ना तो प्रार्थी के हिस्से की ऋण राशि का उपयोग किया है एवं ना ही अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की ऋण राशि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 सूरजा का 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम करवाने बाबत कहा व प्रार्थी अप्रार्थीगण से वादगत खेत का विभाजन करवाने बाबत मिला ही नहीं तो अप्रार्थीगण द्वारा विभाजन करवाने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं है । प्रार्थी ने इस मद में धमकियां आदि देने के तथ्य भी मिथ्या वर्णित करवाये है। प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है एवं ना न्यायालय श्रीमान् से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा वर्णित दिनांक 05.01.2025 को ना तो अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 1 ता 3 से मिला एवं ना ही प्रार्थी ने वादगत खेत के विभाजन बाबत निवेदन किया एवं ना ही किसी प्रकार का हिस्सा प्रार्थी ने अपने नाम करवाने बाबत कहा एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा कानूनन प्रार्थी अपने नाम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की इस मद में वादगत खेत को विक्रय आदि करने तथा विभाजन करवाने के तथ्य मनघड़त एवं मिथ्या वर्णित करवाये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर एवं खिलाफ कानूनन होने से काबिले खारिज है। प्रार्थी दिनांक 05.01.2025 को अप्रार्थीगण से नहीं मिला एवं ना ही अप्रार्थीगण ने विभाजन कराने से इनकार किया तथा ना ही वादगत खेत को विक्रय आदि करने की धमकियां दी। प्रार्थी द्वारा ना ही अपना हिस्सा का नाप या हिस्सा बट्टा बताया है एवं ना ही यह बताया है कि वादगत खेत के कौनसे आसे पासे एवं दिशा में उसका कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में बिना हिस्सा बट्टा का नाप तथा कब्जा काश्त की दिशा एवं आसे पास वर्णित करवाये बिना प्रथम दृष्ट्या मामला ही नहीं बनता है एवं ना ही प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा कानूनन किसी अन्य सहखातेदारों द्वारा विक्रय या रहन बैय द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्य खिलाफ कानून होने के कारण ना तो सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने एवं प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनने तथा सुविधा का संतुलन एवं अपरूणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण काबिले खारिज है। प्रार्थी वादगत खेत के 5/18 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 भी रिकार्डेड खातेदार है । वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का 5/18 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का 5/ 18 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादगत खेत में अपने कब्जा काश्त की दिशा कहीं पर भी वर्णित नहीं करवाई है ना ही अपने कब्जा काश्त के खेत के आसे पासे वर्णित करवाये है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी उसके द्वारा कब्जा काश्त की भूमि का आसा पासा एवं दिशा वर्णित करवाये बिना अपने सहखातेदारों प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो कि वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है के खिलाफ उनके कब्जा काश्त के हिस्सों पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादगत खेत खसरा नम्बर 774 वाकेरोही जैतासर के अपने रिकार्डेड सहखातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहने एवं खिलाफ कानून होने के कारण काबिले खारिज है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विवादित कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 774 तादादी 7.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद का विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनायें रखना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:28:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 20.6.2025 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रज़िस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:25 IST
Reason: SelfAttested